

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म0प्र0)

// आदेश //

क्रमांक-451/दो-12-03 (कोरोना, कोविड-19)/20

उज्जैन, दिनांक 31 अगस्त, 2020

वर्तमान में संपूर्ण विश्व में कोरोना वायरस कोविड-19 का संक्रमण फैला हुआ है। इस न्यायिक जिला स्थापना पर पदस्थ सुश्री रुचि परते, प्रशिक्षु न्यायाधीश की कोरोना संक्रमण रिपोर्ट पॉजिटिव पाई जाने से स्थापना पर द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, षष्ठम/अष्टम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, उज्जैन के न्यायालयों को सीलड किया गया है।

उपरोक्त तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये जिला मुख्यालय उज्जैन पर कोरोना संक्रमण की जांच हेतु जिला चिकित्सालय उज्जैन से जांच दल आज दिनांक 31.08.2020 को लगभग दोपहर 01:30 बजे न्यायिक अधिकारीगण की जांच हेतु आवेगा।

जिला मुख्यालय उज्जैन पर पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी/प्रशिक्षु न्यायाधीश तथा उनके अधीनस्थ कर्मचारियों सहित कोरोना संक्रमण की जांच हेतु आज दिनांक 31.08.2020 को दोपहर 01:30 बजे जिला चिकित्सालय, उज्जैन के जांच दल के समक्ष जिला न्यायालय, उज्जैन में उपस्थित रहें।

मुख्यालय पर पदस्थ समस्त अपर जिला न्यायाधीश जिन्हें कोरोना संक्रमण के लक्षण परिलक्षित हों तो वे भी उक्त जांच दल से अपनी कोरोना की जांच अनिवार्यतः करावें तथा यदि उनके द्वारा संक्रमण की जांच करवाई जाती है तो उनका न्यायालय दिनांक 01.09.2020 को बंद रखा जाकर वे 01 दिवस होम क्वारेंटाईन रहेंगे।

उक्त जांच रिपोर्ट एक दिवस पश्चात दिनांक 01.09.2020 को आने से दिनांक 31.08.2020 के दोपहर 02:00 बजे से दिनांक 01.09.2020 तक समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय बंद रखे जाकर 31.08.2020 को श्री पं. ज. लुवेदी, उचन अपर सत्र न्यायाधीश, उज्जैन एवं दिनांक 01.09.2020 को श्री अम्बुज पांडे, नवम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा उक्त रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करेंगे।

जिला मुख्यालय उज्जैन पर पदस्थ समस्त तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण जिन्हें कोरोना संक्रमण के लक्षण परिलक्षित हो रहे हो वे भी अपनी जांच उक्त जांच दल से करवायें।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

5870 to 5874

पृष्ठांक क्रमांक-दो-12-03 (कोरोना, कोविड-19)/20

प्रतिलिपि-

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त अपर जिला न्यायाधीश/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी/प्रशिक्षु न्यायाधीश, जिला न्यायालय, उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
3. अध्यक्ष अभिभाषक संघ, उज्जैन।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उज्जैन।
5. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. जिला नाजिर, नजारत अनुविभाग, उज्जैन की ओर समस्त कर्मचारियों की सूचित करने हेतु प्रेषित।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)

उज्जैन, दिनांक.....अगस्त, 2020

31 AUG 2020

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)